संख्या 17/2/1981—कार्मिक-2

प्रेषक,

श्री ओ० पी० शुक्ल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 28 फरवरी, 1985

कार्मिक अनुभाग-2

विषय :—सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समूह "क" तथा समूह "ख" पदों में नियुक्ति के लिये आपातकालीन कमीशन-
प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त
अधिकारियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दिया जाना।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग के शासनादेश संख्या 2003/40-रा० एकी०-6-11-77, दिनांक
20-8-1977 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें सेना के विकलांग अधिकारियों तथा इमरजेन्सी कमीशन्ड, आर्ड-
सर्विस कमीशन्ड अफसरों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह "क" एवं "ख" के पदों/सेवाओं में 8-8 प्रतिशत की
आरक्षण प्रदान किया गया है। इसी सन्दर्भ में तत्कालीन नियुक्ति विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं० 5/1/66—नियुक्ति (ख)
दिनांक 24-8-1966 की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निर्गत आदेशों के अधीन उ० प्र० लोक
सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा अथवा चुनाव के आधार पर से भिन्न अन्य किसी प्रकार से भरा जाता
है, सेना में की गई सेवा की सम्पूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में घटा दी जाती है और यदि इस प्रकार घटाई गई
आयु निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जाता है कि उपर्युक्त अभ्यर्थी अधिकतम
आयु के सम्बन्ध में पद पर नियुक्त किये जाने की शर्त को पूरा करता है।

2—भूतपूर्व सैनिक के पुनर्नियोजन से सम्बन्धित अधिकारियों के कार्यदल की विभिन्न सिफारिशों पर भारत सरकार
द्वारा लिए गए निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए, राज्याधीन सेवाओं/पदों पर सीधी भर्ती द्वारा समूह "क" तथा समूह "ख" पदों
पर नियुक्ति के लिए चयन के सम्बन्ध में आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों
सहित, भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामलों में ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में
लोक सेवा आयोग, उ० प्र० के परामर्श से शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गये हैं :—

(क) समूह "क" तथा समूह "ख" के पदों में, जिनमें सीधी भर्ती प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर
की जाती है, उनमें नियुक्ति के लिए सेना के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन
प्राप्त अधिकारियों सहित, भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को, जिन्होंने सेना में कम से कम पांच
वर्ष की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट, सेवाकाल को
आधार मानकर, दी जायगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो छः माह की अवधि में
कार्यमुक्त होने वाले हों परन्तु निम्नलिखित को अनुमन्य नहीं होगी :—

(1) जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों,

(2) जो सेना की सेवा में अवगुण समझी जाने वाली शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण
सेवा मुक्त हुए हों।

(ख) समूह "क" तथा समूह "ख" के जिन पदों पर सीधी भर्ती प्रतियोगितात्मक परीक्षा से अन्य प्रक्रिया
से की जाती है, उन पर आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों
सहित भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को वर्तमान में लागू आदेशों जो नियुक्ति (ख) विभाग के
कार्यालय ज्ञाप संख्या 5/1/66-नियुक्ति (ख), दिनांक 24 अगस्त, 1966 में प्रसारित किये गये थे, के अनुसार
सेना में की गई सेवावधि के अतिरिक्त तीन वर्ष की छूट अनुमन्य रहेगी।

3—कृपया इस निर्णय से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कार्यालयों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

ओ० पी० शुक्ल,
सचिव।